भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

21.09.2020 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1838 का उत्तर

प्रवासियों हेतु श्रमिक रेलगाड़ियों का किराया

1838. डॉ॰ जी॰ रणजीत रेड्डीः

श्री डी॰ के॰ सुरेशः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के वित्त पोषण हेतु केंद्र और राज्यों के बीच 85:15 लागत साझा करने के प्रबंध का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेल मंत्रालय ने श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों में यात्रा करने हेतु कामगारों से वसूले गए किराए में किसी भाग का भुगतान किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मांग राज्य सरकारों द्वारा की गई थी। सामान्य परिस्थितियों में, ऐसी विशेष रेलगाड़ियां राज्य सरकारों/किसी एजेंसी या किसी व्यक्ति द्वारा पूर्ण टैरिफ दरों पर बुक की जाती हैं, जिनमें दोनों दिशाओं के लिए सामान्य किराया, सेवा प्रभार, रिक्त ढुलाई प्रभार, रुकौनी प्रभार आदि शामिल हैं।

भारतीय रेल ने केवल एक दिशा के लिए सामान्य किराए पर श्रमिक स्पेशल की बुकिंग की अनुमति दी। इसके अलावा श्रमिक स्पेशल गाड़ियों के परिचालन के लिए स्वच्छता बढ़ाने, विशेष सुरक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, रेक को सेनिटाइज करने, निःशुल्क भोजन, पानी आदि जैसे विशेष प्रबंधों को इन गाड़ियों के चालन की समग्र लागत में जोड़ा गया है।

रेलवे ने राज्य सरकारों अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों से श्रमिक स्पेशल गाड़ियों के लिए किराया वसूल किया है। रेलवे ने यात्रियों से सीधे तौर पर कोई किराया वसूल नहीं किया है।

भारतीय रेल ने श्रमिक स्पेशल गाड़ियों के चालन पर होने वाले व्यय की केवल कुछ हद तक ही भरपाई की है, जिसके परिणामस्वरूप इन गाड़ियों के परिचालन से हानि हुई है।

*****